न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 78/2021
GCMS NO. : 2021/205

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. प्रकाश पुत्र नारायणलाल जाति माली निवासी– बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज0		1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1955.

तारीख रजू:.16/07/2021

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार राज0।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 15/06/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलून्दा तहसील जैतारण में वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 776 रकबा 05–05 बीघा किस्म चाही चारम तथा खसरा संख्या 786 रकबा 02–09 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 1071/9 रकबा 00–04 बीघा किस्म गै.मु.बाड़ा, खसरा संख्या 1240 रकबा 12–03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 1250 रकबा 25–08 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 2213 रकबा 13–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा संख्या 07 कुल रकबा 77–13 बीघा तथा खसरा संख्या 1212 रकबा 123–00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1213 रकबा 26–00 बीघा किस्म चाही दोयम कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 149–00 बीघा तथा खसरा संख्या 1068 रकबा 12–14 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा 01 कुल रकबा 12–14 बीघा, खसरा संख्या 1067 रकबा 00–06 बीघा किस्म गै.मु.बेरा कुल खसरा 01 कुल रकबा 00–06 बीघा आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादी अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में वादी का नाम कालूराम पि. नारायणलाल माली [illegible] हो गया है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता नारायणलाल [illegible] फौत होने के बाद नामान्तरण संख्या 2586 दिनांक 20.12.2001 [illegible] का नाम कालूराम लिख दिया गया है। उक्त नाम [illegible] कर दिया है। वक्त नामान्तरणकरण वादी नाबालिग था तथा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा खातेदार नारायणलाल माली के विधिक वारिसानो की जांच किए बिना ही उक्त नाम कालूराम लिख दिनया है। जबकि वादी का वास्तवकि व राजकीय दस्तावेजो में प्रकाश अंकित है। जो वादी द्वारा प्रस्तुत परिवार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड में वादी का नाम प्रकाश पुत्र नारायणलाल माली अंकित है इस प्रकार आयकर विभाग द्वारा जारी पैन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला पाली

कार्ड तथा परिवार कार्ड व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र इत्यादि में वादी का नाम प्रकाश अंकित है। प्रमाणित फोटो प्रति पैनकार्ड, परिवार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, ग्राम पंचायत बलून्दा का प्रमाण पत्र इत्यादि वादपत्र के साथ शेष है। वादी के पिता के फौत होने के बाद वादी का फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत हुआ। जिसमें नारायणलाल माली के जायन्दा पुत्र क्रमशः कालूराम, सांवरराम पि. नारायण मु. कंवराई बेवा नारायण दर्ज है। वादी के भाई का नाम सही है तथा वादी का बचपन का नाम कालूराम कर दिया है। जो गलत इन्द्राज है। जबकि वादी का नाम रेकर्डेड प्रकाश पुत्र नारायणलाल माली है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि पटवारी हल्का द्वारा नारायणलाल माली के विधिक वारिसान की जांच किए बिना ही राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम कालूराम गलत इन्द्राज कर दिया। इस प्रकार वादी का राजस्व रेकर्ड मे नाम गलत इन्द्राज होने से वादी अनुदान योजना से लाभांवित नही हो सका तथा वादी को अनेक प्रकार की समस्याओ का सामना करना पड़ रहा हे तथा वादी का पूर्व में जो नामान्तरण संख्या 2566 दिनांक 20.12.2001 का गलत भरा गया है। जो वादी के हितो के विरूद्ध बेअसर है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायतन आवश्यक है। इस प्रकार वादी का राजस्व रेकर्ड में सही नाम इन्द्राज नही होता है तो वादी को अपने जायज साम्पैतिक हक हकुको व अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा तथा वादी को असीम हानि होगी। जिसका मुल्यांकन रूपयो में नही आंका जा सकेगा। इसलिए वादी का राजस्व रेकर्ड में सही नाम इन्द्राज कराने की घोषणा का आदेश फरमावे। नकल प्रमाणित नामान्तरणकरण व जमाबंदी 2074 से 2078 वादपत्र के साथ संलग्न है। वादी अपने खातेदारी के संबंध में सरकार द्वारा अनुदार राशि वितरण की योजना से लाभान्वित होने के लिए पटवार हल्का के पास गया तो राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम कालूराम इन्द्राज होने से उक्त योजना के तहत लाभांवित नही हो सका तथा बैंक से ऋण नही हो सका तब पटवारी हल्का द्वारा वादी को अपना सही नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने हेतू उच्च अधिकारियो के समक्ष कार्यवाही करने की बात कही तब वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 08.04.2021 को प्राप्त की तब प्रथम बार वादी को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का गलत इन्द्राज होने का पता चला। तब वादी द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब जैतारण के समक्ष दिनांक 28.06.2021 को अपने नाम का राजस्व रेकर्ड में सशोधन करने बाबत् पेश किया। जिस पर तहसीलदार जैतारण ने संशोधन करने से स्पष्ट मना कर दिया तथा श्रीमान के न्यायालय में वादपत्र पेश करने की बता कही। इसलिए श्रीमान के समक्ष वादी द्वारा यह घोषणा का वादपत्र पेश किया है। बिनाय वाद दिनांक 08.04.2021 को वादी को सर्वप्रथम अपने नाम की रोंग एन्ट्री की जानकारी राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर तथा संशोधन बाबत् श्रीमान तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रा[illegible] दिनांक 28.06.2021 को पेश करने पर तहसीलदार जैतारण द्वारा [illegible] से स्पष्ट मना करने पर बमुकाम बलून्दा तहसील जैतारण में वाद कारण [illegible] हुआ है, जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा अन्दर म्याद वादपत्र [illegible] हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है राजस्व मौजा बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 की ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.10.07 13:20:40 IST
Reason: SelfAttested

2077-2080 के अनुसार खसरा नम्बर 776, 786, 1071/9, 1240, 1250, 2195, 2213, 1212, 1213, 1068, 1067 में कालूराम पुत्र नारायण सहखातेदार के रूप में दर्ज है। नारायण पुत्र गेपर कौम माली के फौत होने पर विरासत के नामन्तरणकरण संख्या 2566 दिनांक 20.12.2001 (प्रशासन गांवो के संग अभियान) द्वारा नारायण पुत्र गेपर के स्थान पर कालूराम सांवरराम पि. नारायण मु. कंवराई पत्नी नारायण माली दर्ज हुआ। माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद के संबंध में प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प बलुन्दा में मजमें आम में कालुराम पुत्र नारायण के संबंध में जांच करने पर कालुराम पुत्र नारायण का सही व वास्तविक नाम प्रकाश पुत्र नारायण होना सही हुआ।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 776, 786, 1071/9, 1240, 1250, 2195, 2213, 1212, 1213, 1068, 1067 में वादी सहखातेदार दर्ज है। वादी के पिता नारायण के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 2566 दिनांक 20.12.2001 प्रशासन गांवो के संग अभियान में वादी का बचपन का नाम कालुराम पुत्र नारायणलाल माली के नाम से दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम प्रकाश पुत्र नारायणलाल है। अतः राजस्व रेकर्ड में दर्ज रोंग एन्ट्री/ मानवीय भूल को दुरूस्त कर वादी का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम प्रकाश पुत्र नारायणलाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या खसरा नम्बर 776, 786, 1071/9, 1240, 1250, 2195, 2213, 1212, 1213, 1068, 1067 में वादी सहखातेदार के रूप में दर्ज है। वादी के पिता के फौत होने पर विरासत का फौतेदगी नामान्तरण संख्या 2566 दिनांक 20.12.2001 प्रशासन गांवो के संग अभियान में दर्ज करते वक्त वादी का नाम कालुराम पुत्र नारायणलाल दर्ज कर दिया जबकि वादी का विभिन्न सरकारी दस्तावेजो में सही नाम प्रकाश पुत्र नारायणलाल है। यह सही है कि उपरोक्त कृषि भूमि में वादी का नाम कालुराम पुत्र नारायणलाल के स्थान पर प्रकाश पुत्र नारायणलाल दर्ज किया जाना उचित है। ग्राम बलून्दा की फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प बलुन्दा में मजमे आम में जांच करने पर पाया कि कालुराम पुत्र नारायण जाति कुमावत निवासी बलून्दा का वास्तविक नाम प्रकाश पुत्र नारायण जाति माली है। तथा कालूराम व प्रकाश दोनो एक ही व्यक्ति है।

3. वादग्रस्त आराजी की प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2077 से 2080 खसरा संख्या 1067 के अनुसार कालुराम पुत्र नारायण 1/108, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2077

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

से 2080 खसरा संख्या 1068 के अनुसार कालुराम पुत्र नारायण 13/1143, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत 2077 से 2080 खसरा संख्या 783 के अनुसार नारायण पुत्र गेपर 1/34, जमाबंदी संवत 2077 से 2080 खसरा संख्या 1212 व 1213 के अनुसार कालुराम पुत्र नारायण 1/108, प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत 2077 से 2080 खसरा संख्या 1071/9, 1240, 1250, 2195, 2213, 776, 786 के अनुसार कालुराम पुत्र नारायण 598/13977 दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में भी वादी का नाम कालुराम पुत्र नारायण दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श 6 आधार कार्ड, प्रदर्श 7 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श 8 ग्राम बलून्दा का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 9 पैन कार्ड तथा प्रदर्श 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका तथा प्रदर्श 11 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेंर की उच्च माध्यमिक 2011 की अंकतालिका में प्रकाश पुत्र नारायणलाल माली दर्ज है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादी प्रकाश पुत्र नारायण द्वारा शपथ पत्र पी.डब्ल्यु. 1 पर वादपत्र में अंकित कथनो एवं वांछित अनुतोष का समर्थन किया है। प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प बलुन्दा दिनांक 10.12.2021 को मजमें आम में पटवारी बलून्दा, भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू, नायब तहसीलदार आनन्दपुर कालू, सरपंच बलून्दा व स्थानीय निवासियो की उपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट अनुसार खातेदार नारायण पुत्र गेपर माली के वारिसान क्रमशः प्रकाश, सांवरराम पुत्रगण एवं कंवराई पत्नी है।

अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार नारायणलाल की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरण के दौरान वारीसान के नाम की समुचित जांच नही की गई तथा बिना किसी दस्तावेज केवल प्रचलित घरेलू नाम के आधार पर फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया। जबकि मृतक नारायणलाल के पुत्र के रूप में दर्ज कालूराम का दस्तावेजी एवं वास्तविक नाम प्रकाश है, अतः भू अभिलेख में दर्ज कालुराम नाम की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध होने से इसे विलोपित कर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम प्रकाश दर्ज करते हुए अन्य प्रविष्ठियां यथावत् रखते हुए वादी के खातेदार अभिधारी घोषित कर वाद को डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः [illegible] अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा [illegible] राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं स्वीकार [illegible] है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा संख्या 776 रकबा 05-05 बीघा किस्म चाही चारम तथा खसरा संख्या 786 रकबा 02-09 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 1071/9 रकबा 00-04 बीघा किस्म गै.मु.बाड़ा, खसरा संख्या 1240 रकबा 12-03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 1250 रकबा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

25-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 2213 रकबा 13-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा संख्या 07 कुल रकबा 77-13 बीघा तथा खसरा संख्या 1212 रकबा 123-00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1213 रकबा 26-00 बीघा किस्म चाही दोयम कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 149-00 बीघा तथा खसरा संख्या 1068 रकबा 12-14 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा 01 कुल रकबा 12-14 बीघा, खसरा संख्या 1067 रकबा 00-06 बीघा किस्म गै.मु. बेरा कुल खसरा 01 कुल रकबा 00-06 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"कालुराम पुत्र नारायण"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"प्रकाश पुत्र नारायणलाल"*** दर्ज करते हुये वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण, जिला-पाली
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
पदेन सहायक कलक्टर,
(जिला-पाली)
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इस्तादाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण**

बईजलास :- **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादी	प्रतिवादीगण
प्रकाश पुत्र नारायणलाल जाति माली निवासी- बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज०	1. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 मु०न० :रा०वा०स०:- 78/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसील जैतारण सरकारी पैराकार प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक आ०कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज० के खसरा संख्या 776 रकबा 05-05 बीघा किस्म चाही चारम तथा खसरा संख्या 786 रकबा 02-09 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 1071/9 रकबा 00-04 बीघा किस्म गै.मु.बाड़ा, खसरा संख्या 1240 रकबा 12-03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 1250 रकबा 25-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 2213 रकबा 13-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा संख्या 07 कुल रकबा 77-13 बीघा तथा खसरा संख्या 1212 रकबा 123-00 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1213 रकबा 26-00 बीघा किस्म चाही दोयम कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 149-00 बीघा तथा खसरा संख्या 1068 रकबा 12-14 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा 01 कुल रकबा 12-14 बीघा, खसरा संख्या 1067 रकबा 00-06 बीघा किस्म गै.मु.बेरा कुल खसरा 01 कुल रकबा 00-06 बीघा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"कालुराम पुत्र नारायण"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"प्रकाश पुत्र नारायणलाल"*** दर्ज करते हुये वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां य[illegible]ी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम हो[illegible]

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमा म[illegible] व शहर .....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को [illegible]दा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/06/2022 को जारी किया गया।

माफिक

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण
जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:40 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	02-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजान:-	05-00	मिजान:-	-Nil-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:40 IST
Reason: SelfAttested